न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–40/2016
तारीख निर्णय– 24/12/2019

प्रार्थीगण

1. पीथाराम पुत्र गलाजी
2. मृतक कुपाराम पुत्र गलाजी के वारिसान
   अ. अणसी बाई पत्नी कुपाराम
   ब. प्रभुलाल पुत्र कुपाराम
   स. गजरा पुत्री कुपाराम
   द. पोनी देवी पत्नी गोरधनलाल
   य. प्रकाश पुत्र गोरधनलाल
   र. दिलीप पुत्र गोरधनलाल

तमाम् जातिगण–मेघवाल निवासीगण–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

हिम्मताराम पुत्र श्री लखमाजी जाति–मेघवाल निवासी–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील हुकम सिंह ।
2–अप्रार्थी की ओर से– वकील सुधीर कुमार श्रीमाली।

निर्णय **दिनांकः– 24/12/2019**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सपठित के तहत श्रीमान न्यायालय में घोषणा, बंटवाडा, निषेधाज्ञा का मूलवाद पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को सफलता के ठोस एवं प[illegible] है।

यह है कि मौजा सरहद ग्राम–देसूरी, [illegible] देसूरी, जिला–पाली(राज) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 [illegible] आराजी दोयम विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी खतौनी संवत् 2069 से 2072 पेश की है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 268/19 [illegible] आराजी मृतक कुपाराम व पीथाराम व मृतक लखमाराम पिसरान गलाजी तीनो भाईयों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की सयुक्त खातेदारी आधिपत्य की है, जिसमें मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सहदायिक सदस्यों व उक्त तीनो भाईयो का समान हक अधिकार निहित है।इस अनुसार प्रार्थी संख्या 1 पीथाराम का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 मृतक कुपाराम का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी मृत लखमाराम के वारिसान हिम्मताराम, नेनाराम, अमरी बाई व शांति का 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त गत 50 वर्षो से चला आ रहा है। एवम् विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का 1/3, 1/3 हिस्से पर एडर्वस पजेशन भी हो चुका है।

अप्रार्थी हिम्मताराम द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के समक्ष म्यूटेशन अपील संख्या 175/2011 प्रस्तुत की थी जिसमें भी अप्रार्थी हिम्मताराम उसके पिता स्व. लखमाराम एवं उनके भाईयों मृत कुपाराम एवं पीथाराम का मिताक्षरा सयुंक्त हिन्दू परिवार की सम्पति वादग्रस्त आराजी होना स्वीकार किया है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजी में अपने पिता लिखमा (लखमाराम) के अकेले के नाम रिकोर्ड में दर्ज कराने से लखमाराम की मृत्यु पश्चात रिकोर्ड मे मात्र लखमाराम के ही वारिसान के नाम विरासत नामान्तरकरण हो जाने से अप्रार्थी हिम्मताराम व नेनाराम, अमरी बाई व शान्ति का नाम रिकोर्ड में आया एवं अप्रार्थी हिम्मताराम, नेनाराम, अमरी बाई व शान्ति प्रार्थीगण के हिस्से की पुरानी कब्जा सुदा आराजी को जबरदस्ती बलपूर्वक हथियाना चाहते है।

वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण द्वारा सुधार किया गया। वादग्रस्त आराजी में बेरा खुदवाना, बंधवाना, सिचाई का साधन लगवाने आदि का इसके विकास का तमाम खर्चा कुपाराम व पीथाराम व नेनाराम , अमरीबाई ने ही किया है। जिसमें अप्रार्थी हिम्मताराम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी पीथाराम व प्रार्थी मृत कुपाराम व मृत लिखमाराम पिसरान गलाजी की सयुक्त हिन्दू मिताक्षरा परिवार की सम्पति इनकी कब्जा काश्त सुदा चला आ रही है मौके पर बराबर कब्जा काश्त है। परन्तु सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य लखमाराम अकेले के नाम पर उक्त आराजी नियमन (आवंटन) होने से अप्रार्थी हिम्मताराम पुत्र श्री लखमाजी प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने की ऐलानीयां धमकिया देने से एंव प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम का इन्द्राज करवाने का कहने पर भी टालमटोली करने व प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त में नाजायद दखलन्दाजी करने पर आमादा होने एवं अप्रार्थी हिम्मताराम विवादग्रस्त आराजीयात में स्थित बेरे का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण के करने में नाजायज दखलन्दाजी कर रहा हैं एवं इस प्रकार की ऐलानीया धमकिया दे रहा है। मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा जबकि अप्रार्थी बलपूर्वक जबरदस्ती वादग्रस्त आराजी से वंचित करने पर आमदा है एवं प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को सयुक्त हिन्दू मिताक्षरा परिवार की कब्जा सुदा आराजी से वंचित करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम–देसूरी में स्थित खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 हैक्टर की

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जमीन पर हस्तक्षेप नही करे एवम् प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, हस्तान्तरण नही करें एवं मौके की यथारिथति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1 ओर से वकील श्री सुधीर श्रीमाली ने वकालत नामा पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या एक की ओर से दिनांक 21.03.2017 को जवाब पेश किये।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 हैक्टर से संबंधित प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार नही है तथा न ही कब्जा काश्त है। यह गलत है कि वादग्रस्त आराजी कुपाराम, पीथाराम, लखमाराम की संयुक्त मिताक्षरा की सम्पत्ति हो तथा यह भी गलत है कि तीनों का समान हक, अधिकार हो। यह भी गलत है कि वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का एडवर्स पजेशन हो चुका हो।माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के समक्ष अपील में अप्रार्थी संख्या एक ने वादग्रस्त आराजी संयुक्त होना वर्णित नही किया है तथा सम्पूर्ण अपील को प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है।अप्रार्थी संख्या एक की नामान्तरण अपील भी माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदयजी, जोधपुर द्वारा आदेश 08/02/2016 स्वीकार की जा चुकी है।

यह भी गलत है कि कुपाराम, पीथाराम, लखमाराम के मध्य बंटवाडा नहीं हुआ हो। बल्कि स्वयं कुपाराम व पीथाराम ने ग्राम माडपुर की जमीन का गलत दावा संख्या 32/2014 पेश किया था, जिसमें गलाजी के पुत्रों कुपाराम, पीथाराम, लखमाराम का अलग–अलग विभाजन होने के तथ्य भी वर्णित किये थे। उक्त प्रार्थना पत्र 32/2014 भी प्रार्थीगण का खारिज हुआ है।जिससे भी प्रार्थीगण उक्त कथनों/ अभिवचनों से एस्टोप्ड है। जबकि वास्तविकता, सत्यता अनुसार वादग्रस्त आराजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 268/19 रकबा 15 बीघा अप्रार्थी संख्या एक के पिता लखमा पुत्र गलाजी को आवंटन हुई थी। जिसके बाद आवंटन के गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 869 दिनांक 14.05.1971 के नियमानुसार गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया।वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में सन् से लिखमा पुत्र गलाजी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक व उसके भाई, माता का नाम दर्ज नामान्तरण संख्या 369 दिनांक 23.05.1993 को दर्ज होने से जरिये नामान्तरण हुआ।

यह भी गलत है कि वादग्रस्त आराजी में बेरा खुदवाने, बंधवाने, सिचाई साधन लगाने, भूमि को विकसित करने में प्रार्थीगण अथवा कुपाराम, पीथाराम ने कोई खर्चा किया हो। समस्त कार्य, खर्चा स्वर्गीय लिखमाजी तथा उसके पुत्रगणों ने किया था। बिना स्वीकारोक्ति के भी मात्र खर्चा के आधार पर खातेदारी हक, अधिकार प्राप्त नही हो सकते है।अप्रार्थी संख्या एक ने कभी भी प्रार्थीगण को कोई धमकिया, ऐलानिया नहीं दी है। जबकि वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार, कब्जा पिछले 50–55 वर्षो से आज तक नही रहा है तो उसमें दखलअंदाजी हस्तक्षेप, अवरोध, धमकिया देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा अपूरणीय क्षति हो रही है।इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन भी नही किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 268/19 की आराजी मृतक कुपाराम व पीथाराम व मृतक लखमाराम पिसरान गलाजी तीनो भाईयों के मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की सयुक्त हिन्दू परिवार की सयुक्त खातेदारी आधिपत्य की है, जिसमें मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सहदाायिक सदस्यों व उक्त तीनो भाईयो का समान हक अधिकार निहित है।

जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 हैक्टर से संबंधित प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार नही है तथा न ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 268/19 रकबा 15 बीघा अप्रार्थी संख्या एक के पिता लखमा पुत्र गलाजी को आवंटन हुई थी। जिसके बाद आवंटन के गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 869 दिनांक 14.05.1971 के नियमानुसार गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया।वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में सन् से लिखमा पुत्र गलाजी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक व उसके भाई, माता का नाम दर्ज जरिये नामान्तरण संख्या 369 दिनांक 23.05.1993 को दर्ज होने से जरिये नामान्तरण हुआ।

वादग्रस्त आराजी संबंध में नामान्तरण, आवंटन एवं इन्द्राज आज तक वैध है एवम् अप्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी में बेरा खुदवाना, बंधवाना, सिचाई का साधन लगवाने आदि का इसके विकास का तमाम खर्चा कुपाराम व पीथाराम व नेनाराम , अमरीबाई ने ही किया है। जिसमें अप्रार्थी हिम्मताराम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया हैं।

जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 हैक्टर से संबंधित समस्त कार्य, खर्चा स्वर्गीय लिखमाजी तथा उसके पुत्रगणों ने किया था। बिना स्वीकारोक्ति के [illegible] खर्चा के आधार पर खातेदारी हक, अधिकार प्राप्त नही हो सकते है।

अतः इन काल्पनिक तथ्यों के आधार पर [illegible] हक, अधिकारों को चेलेन्ज करने का प्रार्थीगण को कोई हक, अधिकार नही है एवं अप्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है अतः सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि वाद खातेदारी हक अधिकारो का है। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आराजी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय लगेगा इस दौरान यदि आराजियात का अन्तरण हो गया तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्याकन नही किया जायेगा।ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजियात के अन्तरण करने से रोका जाना आवश्यक है। जबकि वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या एक जबरदस्ती वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को वंचित करने हेतु आमादा हो। जबकि वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार अथवा कब्जा पिछले 50–55 वर्षो से आज तक नही रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

यदि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.4300 के संबंध मे प्रार्थी के पक्ष मे एवम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी। जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही की जा सके अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 24 /12 /2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested